

To be issued in Hindi
SPEED POST

No.21/161/2013-M&G
Government of India
Ministry of Home Affairs

NDCC-II Building, Jai Singh Road,
New Delhi 7 January, 2014.

To

Shri Rajeev Kumar Khare,
Geli No. 3, Prame Vihar Colony,
Prame Nagar, Satna,
Madhya Pradesh.

Sub: Supply of information under the Right to Information Act, 2005


Sir,

With reference to your application dated 19.11.2013 seeking information under the RTI Act, 2005 and Ministry of Home Affairs OM. No. A-43020/01/2013-RTI dated 10.12.2013, the following information is provided:

Point. No.	Reply
1	As per proviso under Section 2 of the President's Emoluments and Pension Act, 1951, if any person before assuming the office of President has held the office of the Vice-President, such person shall not be entitled to any pension and other benefits available under the provisions of the Vice-President's Pension Act, 1997.
2	Yes.

2. As per Section 19 of the Right to Information Act, 2005, an appeal against this letter would lie before Shri S. Suresh Kumar, Joint Secretary (CS) and the First Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi.

Yours faithfully,



(Ashutosh Jain)
Director & CPIO

का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) (1) के अंतर्गत

पत्र का संख्या/दिनांक/आवेदन नम्बर/आवेदनिका
 (पत्र का संख्या)
 आवेदन संख्या/दिनांक/आवेदनिका
 दिनांक/Date
 हस्ताक्षर/Signature

1. आवेदक का नाम राजीव कुमार खरे (एड.)
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित किया जाना है जाली नं० 3
 प्रेमविहार कालोनी प्रेमनगर सतना
3. दूरभाष क्रमांक 9827598823
4. आवेदन देने का दिनांक 19/11/13
5. कार्यालय का नाम के लोक सूचना अधिकारी राष्ट्रपति सचिवालय नई दिल्ली
6. चाही गई जानकारी का विवरण

1. यदि कोई उपराष्ट्रपति रहने के उपरान्त राष्ट्रपति पद पर चयन हो जाते हैं। तो उन्हें राष्ट्रपति पद के वेतन के अलावा उपराष्ट्रपति पद के रूप में मिलने वाली पेंशन भी प्राप्त होती रहेगी अथवा प्राप्त नहीं होती है।

2. कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी पद पर रहने के दौरान वेतन पाने की पात्रता रहती है अथवा नहीं।

7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना जानकारी
8. आवेदन के साथ अदा किया जाने वाले प्रोसेस फी-रुपये 10/- नगद/स्टॉम्प (बी.पी.एल. सूची के सदस्य को देय नहीं)
 रसीद क्र. एवं दिनांक 97E407609 दिनांक 19/11/13
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं - हाँ/नहीं
 यदि हाँ, तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक

हस्ताक्षर (आवेदनकर्ता)

टीप :- यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रुपये 5 का स्टॉम्प चसपा करते हुए रजिस्टर्ड/यू.पी.सी./डाक व्यय सहित स्वयं का पता लिखा हुआ, लिफाफा साथ में संलग्न करें। (बी.पी.एल. सूची के सदस्य को डाक व्यय देय नहीं)

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक.....
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक.....
3. संबंधित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
 (लोक सूचना अधिकारी/सहायक
 द्वारा प्राधिकृत)